# RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT CORPORATION
## OFFICE OF THE CHIEF PRODUCTION MANAGER CWS
## BAGRANA, AGRA ROAD, JAIPUR

Mobile No.09549656766Email:-rsrtc.cwsjaipur@gmail.com

**NIB NO. RSRTC/ CWS /CPM/JPR/2025-26/ Date: 25 -02-2025**

# NOTICE INVITING BID

tender invited for Reconditioning of following works given below: -

| S. No | Group of Work | Eligibility of firms | Estimated value of Work Rs. | Cost of tender Documents including GST (not refundable) Rs. | Bid Security Rs. | Pre-bid meeting date and Last date of tender submission Opening date of Technical bid. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loading /unloading work | Agencies/service provider whose annual turnover is more than estimated value of work and as per tender t&c | 4.67 Lakh | 1180/- | 9346/- | 28.02.2025 13.00 Hrs<br>10.03.2025 16.00 Hrs.<br>11.03.2025 10.00 AM |
| 2 | Chassis Work( Engine change , electrical work, heavy docking work) | Agencies/service provider whose annual turnover is more than estimated value of work and as per tender t&c | 2.15 Lakh | 1180/- | 4305/- | 28.02.2025 13.00 Hrs<br>10.03.2025 16.00 Hrs.<br>11.03.2025 10.00 AM |
| 3 | Spring leaf Assemblies Work ( Front & Rear Spring Assemblies) | Agencies/service provider whose annual turnover is more than estimated value of work and as per tender t&c | 88.26 Thousand | 1180/- | 1765/- | 28.02.2025 13.00 Hrs<br>10.03.2025 16.00 Hrs.<br>11.03.2025 10.00 AM |
| 4 | Rewinding of electrical assemblies | Agencies/service provider whose annual turnover is more than estimated value of work and as per tender t&c | 4.43 Lakh | 1180/- | 8861/- | 28.02.2025 13.00 Hrs<br>10.03.2025 16.00 Hrs.<br>11.03.2025 10.00 AM |

If any holiday comes on above dates then next working date will be treated for the same.

NOTE:-

1. The detailed notification/tender documents can be downloaded from website **http://transport.rajasthan.gov.in/rsrtc** also **https://sppp.raj.nic.in**

2. Corrigendum's/modifications/correctionsif any will be published on the website **http://transport.rajasthan.gov.in/rsrtc** also **https://sppp.raj.nic.in**

3. Conditional / incomplete tender will be rejected.
4. Bidders shall submit their offer offline in both **technical** and **financial proposal** in **Separate Envelopes**, Demand Draft for Tender Fees and bid security should be submitted manually or through courier in the office of Chief Production Manager, CWS ,BagranaAgra Road Jaipur before last date . any document received after last date shall not be entertained .
5. The Procuring Entity reserves the right to accept or reject any or all the tenders without assigning reasons thereof. The quantity of works can be increased or decreased without assigning any reasons.
6. RSRTC reserves the right for verification of any information / documents furnished by the bidder in the interest of the corporation.
7. Bid security in the shape of demand draft payable to FA , RSRTC, Jaipur should be submitted before opening of bid.
8. Tender fee in the shape of demand draft payable to CPM CWS, RSRTC, Jaipur should be submitted before opening of bid.
9. Before submitting the tenders it should be ensured that all the tender papers including conditions of contract are signed by the tendered.

Tender documents can be downloaded from online website **http://transport.rajasthan.gov.in/rsrtc** also**https://sppp.raj.nic.in**

If Tendered wish to participate in the tender then they have to make a payment of tender document fee, bid security which is mentioned in the above table be submitted to RSRTC in the form DD in favour of "CPM CWS, RSRTC" payable at "Jaipur" for tender document fee and in favour of "FA, RSRTC" payable at "Jaipur"for bid security and be delivered to the under signed one day before last date and time of the submission of the tender.

For further details you can visit online website **http://transport.rajasthan.gov.in/rsrtc** also**https://sppp.raj.nic.in** or from office of chief production manager RSRTC, CWS jaipur

Chief Production Manager
CWS ,BagranaAgra Road
Jaipur

<u>तकनिकी निविदा आवेदन</u>

# (Technical Bid Application)

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ,केन्द्रीय कार्यशाला ,जयपुर

क्रमांक :– दिनांकः

मुख्य उत्पादन प्रबंधक
राजस्थान परिवहन निगम ,
केन्द्रीय कार्यशाला जयपुर,

विषयः– राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम कि जयपुर स्थित केन्द्रीय कार्यशाला में जॉब बैसिस वर्क पर वाहनो का चैचिस सम्बंधित कार्य करने बाबत्।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम कि जयपुर स्थित केन्द्रीय कार्यशाला में वाहनो का चैचिस सम्बंधित कार्य जॉब बैसिस पर करवाने के सम्बंध में लोकप्रिय समाचार पत्र ..............................दिनांक .....................में व राजस्थान राज्य लोक उपापन पोर्टल प्रकाशित विज्ञापन के कम में निम्नानुसार बोली प्रपत्र प्रेषित है । बोली प्रपत्र की फीस राशि 1180/–(नान रिफण्डेबल) रसीद संख्या ......................................................दिनांक ...............................

<u>सामान्य विवरण</u>

| | | |
|---|---|---|
| 1 | फर्म का नाम | |
| 2 | फर्म का स्थाई पता | |
| 3 | फर्म का दूरभाष न./ मोबाईल न./ई–मेल | |
| 4 | फर्म का पत्र व्यवहार का पता | |
| 5 | फर्म का जी.एस.टी. नम्बर | |
| 6 | फर्म का पेन कार्ड न. मय फोटो प्रति | |
| 7 | फर्म का द्वारा फार्म हेतु निगम कोष ( मुख्य उत्पादन प्रबंधक , केन्द्रीय कार्यशाला जयपुर ) में जमा करायी राशि 1180/ रुपये कि रसीद/ डी.डी. नम्बर व दिनांक | |
| 8 | डी.डी. नम्बर व दिनांक निविदा सुरक्षा राशि 4305/– ( FA ,RSRTC JAIPUR ) | |

1. कार्य ( Scope of Work )

निम्नलिखित सूची व विवरण अनुसार विभिन्न कार्य करवाये जाने प्रस्तावित है:–

| क.स. | कार्य का नाम | कुल वार्षिक जॉब संख्या | जॉब अनुमानित संख्या | निविदा कि अनुमानित लागत |
|---|---|---|---|---|
| I | **चैचिस कार्य** | | | |
| 1 | **इजंन चेंज** | | | |
| | **वाहन का इंजन चेंज करना**<br>(नोट–1. इंजन निगम द्वारा उपलब्ध करवाया जायेगा<br>2. इंजन बदली सम्बधित सम्पूर्ण कार्य जिसमें निम्न काम शामील होगें।<br>गीयर सेटिंग चेंज , रेडियेटर बदली , क्लच व प्रेशर प्लेट सेटिंग व अन्य आवश्यक पाईपिग व अन्य कार्य जो भी आवश्यक हो ) | 24 | 24 | 138626 |
| 2 | **हेवी डॉकिग कार्य**<br>रिमार्कः– फन्ट व रियर एक्सल, स्प्रींग इत्यादि सभी आवश्यक आर.सी. ऐसेम्बली निगम द्वारा उपलब्ध करवायी जायेगा (दिये गये वाहन को पूरा आर.सी. करके,एवं आवश्यक इलेक्ट्रिक वायरिंग कार्य पूरा करके, स्टार्ट कर चैक करके आन टेस्ट लिया जायेगा एवं कोई भी ऐसे. फेल होने जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी उसकों वापस ठीक करके लगाना होगा | | | |
| | 40,000 डॉकिंग (चारो व्हील मेटींनेस, क्राउन एव गेयर ऑयल चेंज ) | 12 | 12 | 16354 |
| | कमानी चेंज (प्रति कमानी) | 48 | 48 | 19008 |
| | फ्रंट एक्सल चेंज कार्य | 4 | 4 | 3380 |
| | रीयर एक्सल चेंज कार्य | 4 | 4 | 2596 |
| | गीयर बॉक्स चेंज कार्य | 12 | 12 | 11682 |
| | क्राउन केज चेंज कार्य | 12 | 12 | 4672 |
| | प्रोपेलर शॉफ्ट चेंज कार्य | 12 | 12 | 6074 |
| | माईनर असेम्बलीज चैक एवं चेंज कार्य (डी.डी.यूनिट, ब्रेक वॉल, रीलेवॉल, डीजल पाईप, ऐयर प्रेशर पाईप, स्टेरिंग पाईप, सी. एम.सी. इत्यादि) | 16 | 16 | 12877 |
| | **कुल** | | | **215269** |

2. पात्रता व मूल्याकंन मापदण्ड ( Eligibility and Evaluation Criteria)

(i) सेवा प्रदाता हेतु पात्रता के निर्धारित मापदण्ड ( Eligibility criteria for service provider )

सेवा प्रदाता का वार्षिक टर्नओवर इस निविदा की लागत के बराबर या अधिक होना चाहिए एंव जी. एस.टी. रजिस्ट्रेशन होना चाहिए तथा सेवाप्रदाता के पास सम्बंधित निविदा में कार्य का न्यूनतम एक वर्ष का उचित अनुभव होना चाहिए।

(ii) मूल्याकंन मापदण्ड ( Evaluation Criteria )

वितीय निविदा में दी गई न्यूनतम दर ही मूल्याकंन का मापदण्ड होगी।

3. निविदादाताओ को निर्देश (Instruction to bidder)

(I) प्री–बिड मिटींग (Pre bid Meeting )

निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व प्री–बिड मिटींग का आयोजन केन्द्रीय कार्यशाला जयपुर में किया जावेगा । प्री–बिड मिटींग में शामिल होने वाली फर्म को टेण्डर फीस रुपये 1180 नगद जमा की रसीद साथ लेकर आना होगा । बिना टेण्डर फीस के प्री–बिड मिटींग में शामिल नही किया जावेगा।

(II) निष्पादन सुरक्षा (Performance Security )

सफल निविदा दाता को टेण्डर की अनुमानित राशि का 10 प्रतिशत राशि सुरक्षा राशि के रुप में निम्नानुसार जमा करानी होगी

(i). डी.डी. ( FA ,RSRTC JAIPUR) अथवा

(ii). बैक गारण्टी

निष्पादन सुरक्षा राशि अनुबन्ध के सफलतापूर्वक खत्म/पूरा होने के 03 माह पश्चात लोटाई जावेगी। निष्पादन सुरक्षा राशी पर कोई ब्याज देय नही होगा।

(iii). यदि फर्म द्वारा आशय पत्र (LOI) जारी होने के 15 दिवस के भीतर कार्य प्रारभं/अनुबधं नही किया जाता है। तो बिड सुऱक्षा राशि/ निष्पादन सुरक्षा राशि (जो भी लागु हो) जब्त कर ली जावेगी।

(III) निविदा सुरक्षा (Bid Security)

निविदादाताओ को टेण्डर की अनुमानित कीमत का 2 प्रतिशत राशि निविदा सुरक्षा के रुप मे निम्नानुसार जमा करानी होगी।

(i). डी.डी. ( FA ,RSRTC JAIPUR) अथवा

(ii). .बैक गारण्टी

निविदा सुरक्षा राशि ,निविदा प्रक्रिया पूर्ण होकर अनुबंध पत्र व कार्यादेश जारी होने के पश्चात लोटाई जावेगी। निविदा सुरक्षा पर कोई ब्याज देय नही होगा। सफल निविदादाता/ अनुबंधकर्ता द्वारा डी.डी. द्वारा जमा कराई गई निविदा सुरक्षा (Bid Security) को निष्पादन सुरक्षा (Performance Security) मे भी समायोजित की जा सकती है।

(IV) Code of Integrity

आर.टी.पी.पी. एक्ट के प्रावधानो व वर्णित नियमो के अनुसार

(V) Conflict of Interest

आर.टी.पी.पी. एक्ट के प्रावधानो व वर्णित नियमो के अनुसार

(VI) सेवा के दौरान शिकायत निवारण (Grievance Handling Procedure during service)

आर.टी.पी.पी. एक्ट मे के प्रावधानो व वर्णित नियमो के अनुसार

(i) प्रथम अपीलीय अधिकारी का पद नाम कार्यकारी निदेशक (यात्रिंक)

(ii) द्वितीय अपीलीय अधिकारी का पद नाम प्रबंध निदेशक

4. गारन्टी (Guarantee)

अनुबंधकर्ता द्वारा किये गये आर.सी. सम्बंधी कार्य की निम्नानुसार गारन्टी होगी

| क्र. | कार्य का नाम | गारंटी |
|---|---|---|
| I | **चैसिस कार्य** | |
| 1 | **<u>इजंन चेंज और इलेक्ट्रीकल वर्क</u>** वाहन का इंजन चेंज करना व सम्पूर्ण इलेक्ट्रीकल कार्य जिसमे वाईरिंग, विभिन्न प्रकार की लाईटे इत्यादी चेंज करना शामिल है।<br>(नोट– 1.इंजन व इलेक्ट्रीकल सामान निगम द्वारा उपलब्ध करवाया जायेगा<br>2. इजंन उतारते समय रेडियटर व गेयर बॉक्स उतारने व लगाने कि जिम्मेदारी भी फर्म की होगी ) | तैयार कि गई वाहन को 20 कि. मी. तक शाखा प्रभारी द्वारा ऑन टेस्ट लिया जायेगा। किसी भी विवाद कि स्थिती में कार्यशाला समिती का निर्णय मान्य होगा। |
| 2 | **हेवी डॉकिग कार्य**<br>• वाहन के चारो व्हील मेन्टेनेंस करना।<br>• 'फ्रंट एवं रियर एक्स्ल उतार कर आर.सी. वापस लगाना<br>• क्राउन केज असेम्बली उतार कर आर.सी. वापस लगाना<br>• 'फ्रंट स्प्रींग उतार कर आर.सी. वापस लगाना<br>'• रीयर स्प्रींग उतार कर आर.सी. वापस लगाना<br>'• गेयर बाक्स उतार कर आर.सी. वापस लगाना<br>'• रेडियटर बाक्स उतार कर आर.सी.वापस लगाना<br>'• पापूलर शाफ्ट आर.सीं. लगाना ।<br>'• 'डी.डी यूनीट ,ड्यूल ब्रेक वाल्व , एयर ड्रायर , आयल सेपरेटर , रीले वाल्व आर.सी वापस लगाना ।<br>'• सभी पाईप के डीजल ,पाईप एवं एयर पाईप लगाना ।<br>• 'सी.एम.सी. आर.सी. वापस लगाना इत्यादि।<br>• क्राउन केज व गेयर बॉक्स का ऑयल चेज करना।<br>• <u>रिमार्कः–</u> फ्रन्ट व रियर एक्सल, स्प्रींग इत्यादि सभी आवश्यक आर.सी. ऐसेम्बली निगम द्वारा उपलब्ध करवायी जायेगा<br>(दिये गये वाहन को पूरा आर.सी. करके,एवं आवश्यक इलेक्ट्रिक वायरिंग कार्य पूरा करके, स्टार्ट कर चैक करके आन टेस्ट लिया जायेगा एवं कोई भी ऐसे. फेल होने जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी उसकों वापस ठीक करके लगाना होगा ) | तैयार कि गई वाहन को 20 कि. मी. तक शाखा प्रभारी द्वारा ऑन टेस्ट लिया जायेगा। किसी भी विवाद कि स्थिती में कार्यशाला समिती का निर्णय मान्य होगा। |

5. मध्यस्थता उप नियम **(Arbitration Clause)**

1. निगम बोर्ड के सकंल्प 28/17 दिनांक 16.08.2017 के अनुसार इस अनुबंध के सम्बंध मे किसी भी विवाद की स्थिति में मामला प्रारंभिक स्तर पर निगम की स्थाई समिती को अग्रेशित किया जावेगा जो कि निम्नानुसार हैः–

1. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / प्रबंध निदेशक — अध्यक्ष
2. वितिय सलाहकार
3. सम्बधित विभागाध्यक्ष
4. कार्यकारी निदेशक (विधि)
5. सम्बंधित विभाग के प्रभारी अधिकारी — सदस्य सचिव

सम्बंधित विभाग के प्रभारी अधिकारी दावा याचिका प्राप्त होने पर दावा राशि की 2 प्रतिशत राशि शुल्क के रुप में दावेदार से प्राप्त कर दावा स्थाई समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगे स्थाई समिति दोनो पक्षो द्वारा प्रस्तुत दावा एवं दस्तावेजो के आधार पर निर्णय लेगी जो कि दोनो पक्षो को समिति के सदस्य सचिव द्वारा अवगत करा दिया जावेगा।

2. मध्यस्थता व समझौता अधिनियम 1996 व इसके संशोधन मे वर्णित नियम व प्रावधान अनुसार ( as per Indian arbitration and conciliation act of 1996 or latest amendment if any)

3. सभी न्यायिक प्रक्रिया यदि आवश्यक हो , का क्षेत्राधिकार जयपुर जिले का होगा।

6. जोखिम क्रय उप नियम **(Risk Purchase Clause)**

यदि अनुबंधकर्ता द्वारा उपरोक्त आर.सी. सम्बंधी कार्य निर्धारित समयावधि में या निगम की मांग के अनुसार नही करता है एव निगम को अपना कार्य सुचारु रुप से चलाने हेतु यदि किसी अन्य फर्म से उक्त कार्य करवाना पडे तो अन्तर राशि की कटौती उसके बकाया भुगतान या सुरक्षा राशि से कर ली जावेगी

7. भुगतान **(Payment)**

अनुबंधकर्ता द्वारा किये गये आर.सी. सम्बंधी कार्य के बदले भुगतान 30 कार्य दिवस में किया जावेगा। इस से अधिक देरी होने पर ब्याज का भुगतान नही किया जावेगा।

8. निविदा प्रपत्र एवं अन्य प्रपत्र जो निविदा दाता द्वारा प्रस्तुत करने है।

(i) MANDATORY DOCUMENTS

1. टेण्डर फीस की डी.डी.
2. अमानत राशि की डी.डी. व बैंक गारण्टी
3. प्रोसेसिंग फीस की डी.डी.

(ii) NECESSARY DOCUMENTS

1. टेण्डर नियम एवं शर्ते ( हस्ताक्षरित)
2. जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन प्रपत्र( प्रतिलिपि)
3. कार्य अनुभव प्रमाण पत्र
4. दिवालियापन न होने का घोषणा पत्र
5. ब्लैक लिस्टेड न होने का घोषणा पत्र
6. आर.टी.पी.पी. एक्ट के भाग 7 एवं 11 का घोषणा पत्र
7. नवीनतम वार्षिक बेलेसंशीट या वार्षिक टर्नओवर प्रमाण पत्र (सी.ए.द्वारा प्रमाणित)

9. तकनिकी निविदा के स्वीकार होने पर ही वित्तिय निविदा खोली जावेगी।

10. दरे बी.ओ.क्यू (BOQ – bill of quantity) मे सलंग्न प्रारुपानुसार में देनी होगी।

## नियम एवं शर्ते

चैचिस सम्बंधित कार्य जॉब बैसिस वर्क पर तैयार करने हेतु निविदा की शर्ते निम्नानुसार है :–

1. राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम जयपुर स्थित केन्द्रीय कार्यशालाओ में टाटा, लिलेण्ड व आयसर वाहनो की चैचिस सम्बंधित कार्य हेतु आवेदन पत्र आमत्रिंत किये जाते है। जिन जॉब कार्य हेतु निविदाए आमत्रिंत कि जानी है वे निम्नवत है :–
   कार्य का नाम :–

   (1) चैचिस कार्य जो निम्नानुसार है :–

   (i) वाहन का इजंन चेंज करना केन्द्रीय कार्यशाला जयपुर हेतु ।

   (ii) हेवी डॉकिग कार्य

2. निविदा के समस्त कार्य राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की जयपुर स्थित केन्द्रीय कार्यशाला में आवश्यकतानुसार करवाया जाना है।

   (1) **चैचिस कार्य**

   (अ) इजंन चेंज

   निविदा दाता को टाटा, लिलेण्ड व आयसर वाहनो के इजंन को वाहन से उतारकर नया इजंन पुनः वाहन मे लगाना होगा इसमें गीयर सेटिंग/बदली , रेडियेटर बदली / फिटमेंट , क्लच प्लेट व प्रेंशर प्लेट सेटिंग व आवश्यक पाईपिंग व अन्य कार्य जो भी अवाश्यक हो।

   ( ब ) हेवी डॉकिग कार्य

   निविदा दाता को टाटा, लिलेण्ड व आयसर वाहनो की 40,000 कि.मी. हेवी डॉकिग का कार्य निगम मेन्यूअल के अनुसार करके देना होगा।

सफल निविदादाता का चुनाव उस निविदा के सभी भागो कि प्राप्त दरो के योग के उपरान्त तुलना कर किया जायेगा उदाहराणर्थ चैचिस सम्बंधित कार्य कि निविदा में अनुबन्धकर्ता को इजंन चेंज, हेवी डॉकिग कार्य व सभी कार्य की दरे देनी होगी व उन सभी कार्य कि प्राप्त दरो के योग उपरान्त न्यूनतम दर वाली फर्म का अनुबन्ध हेतु चुनाव किया जावेगा।

3. दितीय पक्षकार को जॉब बैसिस के सम्पूर्ण कार्य सम्बंधित केन्द्रीय कार्यशाला परिसर मे केन्द्रीय कार्यशाला द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि कि देख रेख मे निर्धारित माप दण्ड के अनुसार सम्पादित करना होगा। आवश्यक होने पर ही सम्बंधित उत्पादन प्रबधक कि स्वीकृति उपरान्त केन्द्रीय कार्यशाला परिसर से बाहर संपादित किये जा सकेगें।

4. द्वितीय पक्षकार को निगम द्वारा आवंटित कार्य के निष्पादन हेतु औजार एवं अन्य आवश्यक संसाधन अपने कामगारो को अपने स्तर पर उपलब्ध करवाने होगें।

5. पुरानी एसेम्बली व स्पेयर पार्टस, ऑयल, लूब्रीकेंट निगम द्वारा उपलब्ध करवाये जायेगे। द्वितीय पक्षकार द्वारा इन्हे स्वीकृत समय मे पूर्ण आर.सी़. कर देना होगा। कार्य मे लगने वाले संभावित समय का निर्धारण केन्द्रीय कार्यशाला समिति द्वारा किया जायेगा।

6. अनुबन्धकर्ता को जॉब बैसिस के विभिन्न कार्य से जुडे समस्त आवश्यक उपकरण व ओजार,टेस्ट बैंच इत्यादि रखने होगे। साथ ही आवश्यकतानुसार सभी विशेष उपकरण मशीने इत्यादि जो आवश्यक है स्वंय के खर्चे पर व्यवस्था करनी होगी, साथ ही समस्त मशीन कार्य भी स्वंय के स्तर

पर केन्द्रीय कार्यशालाओ में अथवा उत्पादन प्रबधंक के निर्देशानुसार स्थानीय बाजार से करवाने होगें।

7. कार्य के दौरान मशीनरी/पार्टस को लोड/अनलोड करने का कार्य द्वितीय पक्षकार को स्वंय के स्तर पर ही करना होगा।

8. अनुबन्ध कर्ता को कार्य समाप्ती पर सभी प्रकार की अनावश्यक स्पेयर ,कचरा ,उपकरण इत्यादी को हटाकर निधारित स्थान पर डालना होगा व कार्यस्थल को सही स्थिती मे रखना होगा।

9. कार्य के दौरान हुई किसी भी सामान की टूट फुट की जिम्मेदारी द्वितीय पक्षकार की होगी एवं कार्य के दौरान हुई किसी भी दुर्घटना में द्वितीय पक्षकार के आदमी को हुई हानि/चौट के लिये द्वितीय पक्षकार स्वयं जिम्मेदार होगा। निगम किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए उतरदायी नही होगा।

10. अनुबन्धकर्ता को आवंटित कार्य में लगने वाले अधिकतम समय का निर्धारण कार्यशाला समिति द्वारा (जिसमे अनुबन्धकर्ता का प्रतिनिधि भी शामिल होगा) कार्य प्रारभ करने से पूर्व ही निर्धारित कर दिया जावेगा। जिससे अनुबन्धकर्ता को कार्य प्रारंभ करने से पूर्व ही अवगत करा दिया जावेगा । आवंटित समय से अधिक समय लगने पर शास्ति राशि वसूल की जावेगी ।

11. अनुबंध कर्ता द्वारा यदि कार्य हेतु आवश्यक श्रमिक किन्ही कारणो से उपलब्ध नही कराये जाते है एवं इससे उत्पादन पर प्रतिकुल प्रभाव पडता है तो अनुबंध कर्ता से देरी से किये गये कार्य की लागत का , निर्धारित (आवंटित) अवधि के 50प्रतिशत तक की देरी के लिए 5 प्रतिशत, निर्धारित अवधि के 51 से 100 प्रतिशत तक की देरी के लिए 10 प्रतिशत , इसके पश्चात आवंटित समय के हर 100 प्रतिशत या उसके किसी भी भाग की देरी के लिए 10 प्रतिशत की दर से शास्ति राशि वसूल की जावेगी एवं शास्ति राशि वसूली की गणना कार्यदिवस के आधार पर की जावेगी। इस सबंध मे किसी भी विवाद को केन्द्रीय कार्यशाला समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकेगा। जिसका निर्णय अतिंम एवं सर्वमान्य होगा।

12. द्वितीय पक्षकार एवं कामगारो को कार्यशाला समय में ही कार्य करना होगा एवं कार्यशाला सुरक्षा मापदंडो व नियमो का पालन करते हुऐ पूर्ण अनुशासन से कार्य करना होगा। द्वितीय पक्षकार द्वारा निविदा से सम्बंधित कार्य किसी को सब्लेट नही किया जा सकेगा। ऐसा पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही कि जा सकेगी।

13. किसी भी निविदा का बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निगम को होगा।

14. अनुबंधकर्ता द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबंध निर्धारित अवधि से पूर्व समाप्त करना चाहता है तो उसे तीन माह का नोटिस देना आवश्यक होगा, अन्यथा उसकी प्रतिभुति राशि जब्त कर ली जावेगी।

15. सफल निविदा कर्ता को सहमति–पत्र जारी होने के 15 दिवस मे निर्धारित प्रर्फार्मा मे कार्य अनुबंध करना होगा।

16. कार्यादेश जारी करने के 15 दिवस के भीतर दिये गये शिड्यूल के अनुसार कार्य प्रारंभ करना होगा , अन्यथा बिड सुरक्षा राशि जब्त कर ली जावेगी।

17. फर्म द्वारा उपलब्ध करवाये जाने वाल तकनीकी कर्मचारी सदव्यवहारी एवं ईमानदार होगे तथा इनके आचरण एवं कार्य हेतु अनुबंधित फर्म पूर्ण उत्तरदायी रहेगी। यदि फर्म द्वारा उपलब्ध करवाये जाने वाले कर्मचारी द्वारा कियी भी प्रकार की अनियमितता की जाती है तो निगम द्वारा इस सम्बंध मे नोटिस जारी करने पर फर्म को तुरन्त सम्बंधित कर्मी को हटाना होगा तथा अनुबधित फर्म के कर्मचारी के किसी कार्य से निगम को आर्थिक हानि उठानी पडती है तो उसकी वसूली सम्बंधित फर्म से की जावेगी।

18. अनुबंधकर्ता फर्म के द्वारा अनुबंध की शर्तो का उल्लघंन करने तथा आवटिंत मेन्टीनेंस कार्य सन्तोषप्रद न पाये जाने पर अनुबंध समाप्त करते हुये प्रतिभुत राशि जब्त की जा सकती है।

19. द्वितीय पक्षकार के अपने पेन कार्ड, जी.एस.टी रजिस्ट्रेशन न0 ,भविष्य निधि व कर्मचारी बीमा रजिस्टेशन एवं श्रम अनुज्ञा पत्र, निविदा प्रपत्र के साथ प्रस्तुत करने होगे । यदि कोई प्रपत्र अथवा पंजीयन सम्बन्धित द्वितीय पक्षकार के दायित्व में नही हो तो इसके लिए द्वितीय पक्षकार एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।

20. द्वितीय पक्षकार अपने अधीन कार्यरत कामगारो को देय भुगतान मे से नियमानुसार भविष्य निधी एवं राज्य कर्मचारी बीमा राशि काट कर सम्बधित विभाग में जमा करायेगे एवं इसके जमा कराने का चालान इस कार्यालय में प्रस्तुत करेगें। यदि द्वितीय पक्षकार अपने स्तर से जमा कराने की कार्यवाही नही करता है तो द्वितीय पक्षकार अपने कर्मचारियो को देय भुगतान पर नियमानुसार भविष्य निधी एवं राज्य कर्मचारी बीमा की राशि की गणना कर उसकी अनुसूची अपने बिल के साथ प्रस्तुत करेगा। निगम उसकी अनुसूची के अनुरूप भविष्य निधी एवं राज्य कर्मचारी बीमा की राशि द्वितीय पक्षकार के भुगतान से काट कर सम्बन्धित विभाग में जमा करायेगा।

21. निविदा प्रपत्र में वर्णित समस्त कार्य अस्थाई है एवं आवश्यकतानुसार करवाये जाने है। द्वितीय पक्षकार कार्य आवंटन की मात्रा के लिए रापनि को बाध्य नही कर पायेगें, एवं उसके कामगाारो को निगम में स्थाईसेवा एवं अन्य किसी भी प्रकार की सुविधा का अधिकार देय नही होगा। सफल निविदादाता / द्वितीय पक्षकार को अपने अधीन कार्यरत कर्मचारीयो को नियमानुसार न्यूनतम मजदूरी का भूगतान करना होगा एंव निर्धारित आयु से कम आयु का कोई कर्मचारी नही रखना होगा।उक्त नियमो की अवहेलना की स्थिति मे समस्त उत्तरदायित्व द्वितीय पक्षकार का होगा।

22. द्वितीय पक्षकार द्वारा अनुबंध अवधि के दौरान किसी भी समय कार्य में लापरवाही करने पर यथा समय पर श्रमिक उपलब्ध नही करवाने , अपेक्षित समय सीमा में कार्य सम्पादिंत नही करने एवं नोटिस दिये जाने के उपरांत भी अवाश्यक कार्यवाही हेतु स्वंय/ अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थिति नही दिये जाने की दशा में निगम द्वारा द्वितीय पक्षकार को 15 दिवस की अवधि के भीतर अधिकतम दो नोटिस उचित माध्यम से प्रेषित किये जावेगे । तत्पश्चात भी कार्य हेतु उपस्थित नही होने की दशा में निविदा अनुबंध निरस्त करने की कार्यवाही करते हुऐ सूरक्षा राशि जब्त कर ली जावेगी।

23. द्वितीय पक्षकार को अपने अधीन कार्यरत कामगारो को नियमानुसार न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करना होगा। इसमें कोई शिथिलता होने पर द्वितीय पक्षकार स्वयं जिम्मेदार होगा।

24. दितीय पक्षकार को देय भुगतान मे ंसे नियमानुसार समस्त करो की कटौती की जायेगी।

25. द्वितीय पक्षकार को नियमानुसार प्रतिभुति राशि जमा करानी होगी। जिसे गारन्टी अवधि समाप्ति के 60 कार्य दिवस के उपरान्त लौटा दी जावेगी, जिस पर कोई ब्याज देय नही होगा।
26. निविदा अनुबन्ध एक वर्ष के लिये मान्य होगा परन्तु द्वितीय पक्षकार का कार्य संतोषप्रद नहीं पाये जाने पर अनुबन्ध तुरन्त प्रभाव से समाप्त कर प्रतिभुति राशि जब्त कर ली जायेगी।
27. भुगतान हेतु देयक प्रस्तुत करने होगे। जिनके प्रमाणिकरण उपरान्त ही राशी का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।
28. किसी विशेष परिस्थिती के कारण कार्य निलंबित रहने के कारण अनुबन्धकर्ता को यदि अतिरिक्त व्यय होता है तो उसका कोई अतिरिक्त भुगतान नही किया जायेगा।
29. आवश्यक होने पर कार्य की मात्रा को आर.टी.पी.पी. एक्ट के प्रावधानानुसार बढाया जा सकेगा।
30. टेंडर के सम्बंध मे किसी भी प्रकार के विवाद के लिए बिन्दु संख्या 5 के अनुसार कार्यवाही की जावेगी ।
31. अनुबंध के सबंघ मे न्यायलय का क्षेत्राधिकार जयपुर जिले का होगा।

ठेकेदार के हस्ताक्षर मय मोहर

मुख्य उत्पादन प्रबन्धक
केन्द्रीय कार्यशाला जयपुर

## (Appeals)

**(1) Filing an appeal**

(a) If any Bidder or prospective Bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to the First Appellate Authority , within a period of ten days from the date of such decision, action, or omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved: Provided that after the declaration of a Bidder as successful in terms of section 27 of the Act, the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings: Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bid before the opening of the Financial Bid, an appeal related to the matter of Financial Bid may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(b) After hearing the parties, the First Appellate Authority shall dispose of the appeal and pass an order within a period of 30 days of the date filing of the appeal.

(c) If the First Appellate Authority fails to dispose of the appeal within the period 30 days of the date of filing the appeal or if the bidder or prospective bidder or the procuring entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the bidder or prospective bidder or the procuring entity, as the case may be, may file a second appeal to the Second Appellate Authority within fifteen days. The Second Appellate Authority, after hearing the parties, shall dispose of the appeal and pass an order within a period of 30 days which shall be final and binding on the parties.

**(2) Appeal not to lie in certain cases**

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

(a) determination of need of procurement;
(b) provisions limiting participation of Bidders in the bidding process;
(c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
(d) cancellation of a procurement process;
(e) applicability of the provisions of confidentiality.

**(3) Form and procedure of filing an appeal**

(a) An appeal shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.

(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts in the appeal and proof of payment of fee.

(c ) Every appeal may be presented to first Appellate authority or Second Appellate Authority as the case may be , in person or through registered post or authorized representative.

**(4) Fee for filing appeal**

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's Cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

**(5) Procedure for disposal of appeals**

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-

(i) hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

**FORM No. 1**
**[See rule 83]**

**Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012**

Appeal No ………of ……………

Before the ………………………… (First / Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:
   - (i) Name of the appellant:
   - (ii) Official address, if any:
   - (iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent(s):
   - (i)
   - (ii)
   - (iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer / authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:
5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:
6. Grounds of appeal:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………....(Supported by an affidavit)

7. Prayer:

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..

Place …………………………………….

Date ……………………………………

Appellant's Signature

**Annexure “A”**

# Declaration by the Bidder under Section 7 and 11 of the Act

**Declaration by the Bidder**

In relation to our Bid submitted to ………………………. [enter designation and address of the procuring entity] for works of ………………………… [insert name of the *Goods]* in response to their Notice Inviting Bids No…………… Dated ………….. we hereby declare nder Section 7 and 11 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement
Act, 2012, that:

1. We are eligible and possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. We have fulfilled our obligation to pay such of the taxes payable to the Central Government or the State Government or any local authority, as specified in the Bidding Document;
3. We are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have our affairs administered by a court or a judicial officer, not have our business activities suspended and are not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. We do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. We do not have a conflict of interest as specified in the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules and this Bidding Document, which materially affects fair competition;
6. We have complied and shall continue to comply with the Code of Integrity as specified in the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules and this Bidding Document, till completion of all our obligations under the Contract.

Date:
Place

Signature of Bidder
Name:
Designation:
Address:

**Annexure “B”**

## Declaration by Bidder (In case of bidder have not been blacklisted)

Date: _____________
NIB No.: ______________

**Format of Declaration**

I/We a legally constituted agency …………………………………………… and represented by
………………………………. declare that I am/ we are agencie/ service provider in the Related Services for which
I/ We have Bid.

We, the undersigned declare that our firm have not been blacklisted by any of STU, Govt. of India / State Government , public sector undertaking for breach of contract

If this declaration is found to be incorrect then without prejudice to any other action that may be taken, my/ our Bid Security may be forfeited in full and the Bid if any to the extent accepted may be cancelled.

Signed: ____________________
Name: ______________________________________
In the capacity of: ____________________________________________________
Duly authorized to sign the Bid for and on behalf of:_________________________
Date: ______________________
Tel: _________________ Fax:_______________ e-mail: _____________ .

**Annexure “C”**

## Declaration by Bidder (in case of bidder being bankrupty and insolvent)

Date: ____________

NIB No.: ______________

**Format of Declaration**

I/We a legally constituted agency …………………………………………… and represented by
………………………………. declare that I am/ we are agency/service provider in the Related Services for which
I/ We have Bid.

We, the undersigned declare that our firm have not been Bankruptcy /insolvent by any of Govt. bank / private bank.

If this declaration is found to be incorrect then without prejudice to any other action that may be taken, my/ our Bid Security may be forfeited in full and the Bid if any to the extent accepted may be cancelled.

Signed: ____________________

Name: ______________________________________

In the capacity of: ____________________________________________________

Duly authorized to sign the Bid for and on behalf of:_________________________

Date: ______________________

Tel: _________________ Fax:_______________ e-mail: _____________ .

Tender inviting authority: Chief producation manager rsrtc central workshop jaipur

Name of work: Chasis work

Tendar id :

Name of the bidder/bidding firm/Company:

PRICE SCHEDULE

(DOMESTIC TENDERS - RATES ARE TO GIVEN IN RUPEES (INR) ONLY)

(This BOQ template must not be modified/repleced by the bidder and the same should be uploaded after filling the relevant columns, else the bidder is liable to be rejected for this tender. Bidders are allowed to enter the bidder name and values only)

| sr.no. | Item Description | Item code/ make | quantity | Units | Basic rate per unit Rs | Discount in percentage(%) | Rate after Discount | GST IN Percentage(%) | GST IN Amount | TOTAL Amount with tax per unit Rs | Total Amount in Words |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Chasis Work | | | | | | | | | | |
| 1.01 | वाहन का इंजन चेंज करना (नोट–1 ईंजन निगम द्वारा उपलब्ध करवाया जायेगा । 2. ईंजन बदली संबंधित सेपुर्ण कार्य जिसमें निम्न कार्य शामिल होंगे । गियर सेटिंग चेंज, रेडियटर बदली, क्लच व प्रेशर प्लेट सेंटिग व अन्य आवश्यक पाईपिंग व अन्य कार्य जो भी आवश्यक हो)<br>(केन्द्रीय कार्यशाला जयपुर में) | Item 1 | 24 | Nos | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02 | हेवी डोकिंग कार्य रिमार्कः— फ्रंट व रियर एक्सल,स्प्रींग इत्यादि सभी आवश्यक आर.सी. असेम्बलि निगम द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी (दिये गये वाहन को पुरा आर.सी. करके एवं आवश्यक इलैक्ट्रीक वायरींग कार्य करके, स्ट्रार्ट कर चेक करके रोड टेस्ट लिया जायेगा एवं कोई भी असेम्बली फैल होने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी उसको वापस ठीक करके लगाना होगा ) **40,000** डोकिंग (चारो व्हील मेंटिनेंस, काउन व गीयर ऑईल चेंज ) ( केन्द्रीय कार्यशाला जयपरु में) | Item 2 | 12 | Nos | | | | | | | |
| 1.03 | कमानी चेंज (प्रति कमानी) (केन्द्रीय कार्यशाला जयपरु में) | Item 3 | 48 | Nos | | | | | | | |
| 1.04 | फ्रंट एक्सल चेंज कार्य (केन्द्रीय कार्यशाला जयपरु में) | Item 4 | 4 | Nos | | | | | | | |
| 1.05 | रियर एक्सल चेंज कार्य (केन्द्रीय कार्यशाला जयपरु में) | Item 5 | 4 | Nos | | | | | | | |
| 1.06 | गीयर बॉक्स चेंज कार्य (केन्द्रीय कार्यशाला जयपरु में) | Item 6 | 12 | Nos | | | | | | | |
| 1.07 | काउन केज चेंज कार्य (केन्द्रीय कार्यशाला जयपरु में) | Item 7 | 12 | Nos | | | | | | | |
| 1.08 | प्रॉपलर शाफट चेंज कार्य (केन्द्रीय कार्यशाला जयपरु में) | Item 8 | 12 | Nos | | | | | | | |
| 1.09 | माईनर असेम्बलिज चेक एण्ड चेंज कार्य( डी.डी यूनिट, ब्रेक वाल्व,रिले वॉल्व, डीजल पाईप, एअर प्रेशर पाईप,स्टेरिंग पाईप, सीएमसी इत्यादि) (केन्द्रीय कार्यशाला जयपरु में) | Item 9 | 16 | Nos | | | | | | | |